बाबूलाल पुत्र गोकुल कुम्हार
निवासी बेगूँ

बनाम

मांगीलाल पुत्र श्रवण जी गुर्जर
निवासी काटून्दा (सुखपुरा)

दावा अ0धा0 88 राज0काश्त0अधि0

उपस्थित :– श्री एस.सी.टेलर
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक :–

आदेश प्रार्थना पत्र अ.धा. आदेश 09 नियम 13 जा.दी.

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. वकील श्री सुरेश चन्द्र टेलर द्वारा पेश कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि प्रतिवादी मांगीलाल पिता श्रवण जी गुर्जर निवासी काटुन्दा के विरुद्ध एक तरफा में दिनांक 19.02.2014 को निर्णय एवं डिक्री प्रदान की गयी।

उक्त प्रतिवादी को दिनांक 31.07.2012 को सम्मन की तामील होना बताया गया एवं दिनांक 20.05.2013 को प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 31.07.2012 के सम्मन को प्रतिवादी पर दिनांक 30.07.2012 को तामील कराई गई अर्थात पेशी के एक दिन पहले कानूनन पर्याप्त समय की तामील होनी चाहिए थी क्योंकि सम्मन दिनांक 11.07.2012 को ही जारी हो गया था। वास्तविकता यह है कि सम्मन प्रतिवादी की दिनांक 31.07.2022 को दिया गया और 31.07.2012 को काटकर 30.07.2012 की गई है। यह सम्मन से स्पष्ट है। इस प्रकार सम्मन की तामील भ्रमित करने एवं धोखे में रखने के प्रयोजन से कराई गई यह स्पष्ट है।

उक्त सम्मन तामील की पेशी पर पीठासीन अधिकारी दिनांक 20.05.2013 तक नहीं थे अर्थात एक वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद एक तरफा का आदेश उक्त प्रकार की संदिग्ध सम्मन तामील के आधार पर जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त प्रतिवादी को सम्यक सम्मन तामील के अभाव में, बल्कि सम्मन तामील के अभाव में किया गया एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 20.05.2013 एवं निर्णय तथा डिक्री दिनांक 19.02.2014 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

न्यायहित में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर प्रतिवादी के पक्ष सुना जाना आवश्यक है क्योंकि प्रकरण में प्रतिवादी के साथ रेकोर्डेड धोखा हुआ है एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने में प्रतिवादी को अवसर नहीं मिला है। इसलिए एकतरफा आदेश, निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

प्रतिवादी को एकतरफा निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 5.05.2014 को पटवार हल्का डिक्री की पालना के लिये न्यायालय श्रीमान से पत्र जाने पर हुई और प्रतिवादी ने दिनांक 5.05.2014 को ही नकल हेतु आवेदन कर दिया। नकल मिलने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध पारित एकतरफा आदेश दिनांक 20.05.2013 एवं निर्णय तथा डिक्री दिनांक 19.02.2014 को निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी प्रतिवादी को अपना पक्ष वाद पत्र को अपनी नकल प्रदान करते हुए प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 [illegible] कर विपक्षीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए डी सम्मन से तलब किया जाने पर भी विपक्षीग[illegible]उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दि[illegible] कार्यवाही होने के पश्चात [illegible] श्री मांगीलाल साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए दस्तावेज प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, प्रदर्श [illegible] 4 पेश कर अपने बयान कलमबद्ध कराये गये।

उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन किया जाने पर प्रदर्श 1 में अंकित प्रतिवादी सं0 1 एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रदर्श 2 निर्णय में प्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया एवं डिक्री वादी के पक्ष में जारी की गई। प्रदर्श 4 प्रार्थी का सम्मन है जो मूल पत्रावली में सम्मन संलग्न है जिसे देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी को सम्मन देने की तारीख में कांट–छांट हुई है अर्थात पेशी के एक दिन पहले कानूनन पर्याप्त समय की तामील होनी चाहिए थी जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, मूल पत्रावली में प्रस्तुत सम्मन मांगीलाल की तामील का अवलोकन किये जाने के उपरान्त पाया कि विपक्षी को सम्मन तारीख पेशी 31.07.2012 की पेशी का दिनांक 30.07.2012 को दिये जाने का अंकन सम्मन पर किया हुआ है हालॉकि सम्मन को गौर से देखा जाने पर पाया कि सम्मन में कॉट फॉस की हुई है, यहॉ यह भी प्रश्न विचारणीय है कि जब सम्मन में तारीख पेशी दिनांक 31.07.2012 की थी एवं सम्मन विपक्षी को प्राप्त हुआ था तो विपक्षी इस न्यायालय में उसके बाद भी उपस्थित आ सकता था। । मूल दावा पत्रावली के अवलोकन से पाया कि दावा वादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें हमारी विनम्र राय से दोनो ही पक्षो को सुना जाने के उपरान्त किसी निर्णय पर पहुॅचना ही प्राकृतिक निर्णय के सिद्धान्त की तारीफ में आता है। दोनो पक्षो को सुना जाकर ही वादग्रस्त भूमि की घोषणा किया जाना होता है जो की नहीं की जाकर मामले को एक तरफा करते हुए दावा स्वीकार किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दर्शाए गये कारणो से हम पूर्णतया सहमत है। प्रार्थना पत्र ओर्डर 09 रूल 13 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी मूल वाद में निर्णय व डिक्री को अपास्त (सेटएसाईट) किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र ओर्डर 9 रूल 13 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं0 87/12 व अनवान बाबूलाल बनाम मांगीलाल अ0धा0 88 राज0का0अधि0 के निर्णय दिनांक 19.02.2014 को अपास्त (सेटएसाईट) किया जाता है एवं प्रतिवादी मांगीलाल पिता श्रवण गुर्जर को सुनवाई समुचित अवसर देकर पत्रावली में पुनः सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाने हेतु मूल दावा पुनः दर्ज कर वादी और प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जावे।

आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:51:25 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाशचन्द्र गुजर)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूॅ जिला चितौडगढ़